कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उ/प) जिला न्यायालय रोहिणी दिल्ली

28420—28486
संख्या..................परिपत्र/हिन्दी अनुभाग (उ/प)/रोहिणी/2019 दिल्ली, दिनांक...21/09/2019.

विषय : हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली का संदेश।

उपर्युक्त विषय पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम) के निदेशानुसार पत्र संख्या फा.सं. 5(01) 2019-10-क०सं०एवं भाषा/ 1607-1708 दिनाँक 08/08/2019 के माध्यम से श्री संजय जैन, उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग के पत्र द्वारा श्री विजय कुमार देव, मुख्य सचिव का संदेश प्राप्त हुआ जिसे श्री विरेन्द्र कुमार गोयल, माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (पश्चिम)/अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय दिल्ली के द्वारा इस न्यायालय को अग्रसारित किया गया। इस संदेश को जिला न्यायालय उत्तर-पश्चिम के सभी माननीय न्यायिक अधिकारियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं अनुभाग प्रभारियों के समक्ष सूचना एवं संदर्शन के लिए प्रेषित किया जाता है।

पूजा अग्रवाल

संलग्नक : उपर्युक्त

(पूजा अग्रवाल)
महानगर दण्डाधिकारी/नोडल अधिकारी
राजभाषा अनुभाग (हिन्दी) (उ/प)
जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली

6247251/15831
512

फा.सं.5(०)2019-20-क.सं.एवंभाषा/1607-1708 दिनांक 08/08/2019
652/बी.दिनांक29/08/2019

संख्या 52894-53064 हिन्दी/238/2019 दिल्ली, दिनांक 11/09/19

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार आगामी "हिन्दी दिवस 2019" के पावन अवसर पर मुख्य सचिव,राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली सरकार के संदेश की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. समस्त माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,पश्चिम,उत्तर,उत्तर-पश्चिम,पूर्व,शाहदरा,दक्षिण-पश्चिम,दक्षिण,दक्षिण-पूर्व,नई दिल्ली, राऊज एवेन्यू दिल्ली/नई दिल्ली। इस अनुरोध सहित कि इस संदेश को संबधित न्यायिक जिले में परिचालित करवाएं।
2. निजी सचिव, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश(मुख्यालय) दिल्ली।
3. समस्त न्यायिक अधिकारी , केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।
4. श्री वीरेन्द्र गोयल,अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,(पश्चिम) दिल्ली/अध्यक्ष,केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, श्री संजीव जैन,अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (दक्षिण-पूर्व),साकेत दिल्ली/सह-सदस्य केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति , श्री मुकेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,(उत्तर-पश्चिम)रोहिणी दिल्ली/सदस्य केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, दिल्ली।
5. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारी(न्यायिक)/अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय जिला,तीस हजारी न्यायालय,दिल्ली।
6. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), राजभाषा हिंदी अनुभाग,पश्चिम,उत्तर,उत्तर-पश्चिम,पूर्व,शाहदरा, उत्तर-पूर्व, नई दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण,दक्षिण -पूर्व,दिल्ली/नई दिल्ली।
7. उप-सचिव, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,दिल्ली सरकार।
8. वेबसाइट समिति लेयर्स पर अपलोड करने हेतु ।

नोटः कृपया अपने अधीन समस्त कर्मचारियों को उक्त संदेश से अवगत करवाएं।

वीरेन्द्र कुमार गोयल
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,(पश्चिम)/
अध्यक्ष,केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय,दिल्ली।

333

विजय कुमार देव
VIJAY KUMAR DEV, I.A.S

मुख्य सचिव
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
Chief Secretary
Government of NCT of Delhi

सत्यमेव जयते

संदेश

"हिन्दी दिवस"

14 सितम्बर, 2019

हिन्दी दिवस के अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत की सभी भाषायें हमारे लिये आदरणीय हैं लेकिन देश को एक सूत्र में पिरोने के लिये राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने और इसका अधिक से अधिक प्रचार करने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को मनाये जाने वाले **'हिन्दी दिवस'** का विशेष महत्व है।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की दिशा में सरकार सतत प्रयासरत है। परन्तु सरकार का यह प्रयास प्रबुद्ध नागरिकों के सहयोग के बिना सार्थक नहीं हो सकेगा। अतः आवश्यक है कि वे सरकार से अपना संपर्क राजभाषा के माध्यम से स्थापित करें।

राजभाषा के रूप में हिन्दी के अपेक्षित प्रयोग हेतु बनाए गए अधिनियम, नियमों तथा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन करते हुए हमें अपने कार्यालयों में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। अब कम्प्यूटरों और अन्य उपकरणों की उपलब्धता के फलस्वरूप हिन्दी में कार्य करना पहले से और अधिक सरल हो गया है। यह प्रसन्नता की बात है कि सरकारी कामकाज हिन्दी में किए जाने की दिशा में धीरे–धीरे प्रगति हो रही है, परन्तु यह प्रगति यथेष्ट नहीं है। अतः हमें इसे और आगे बढ़ाने के निरन्तर भरसक प्रयास करने होंगे।

मेरा समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में आसान हिन्दी का प्रयोग किए जाने के लिये प्रेरित करें। आईए, हिन्दी दिवस के इस पावन अवसर पर – राजभाषा तथा भारत की जनभाषा, दोनों रूपों में हिन्दी के विकास के प्रति स्वयं को समर्पित करें। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यह निश्चय करना चाहिए कि अपने दैनिक सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें।

(विजय कुमार देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली–110002, फोन : 011-23392100, 011-23392101, फैक्स : 011-23392102
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002, Tel. : 011-23392100, 011-23392101 Fax : 011-23392102
E-mail : csdelhi@nic.in

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम)
Office of District & Sessions Judge (NW)
बाहर प्राप्ति सीट/Outside Receipt Seat
क्र. डी./Diary No. 4908
13 SEP 2019
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली
Rohini Courts, Delhi

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सातवां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।

फा.सं0 5(01) 2019-20-क0सं0एवं भाषा/ 1607-1708 दिनांक: 8/8/19

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय)
डायरी सं0 652
29 AUG 2019
दिल्ली

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली.

विषयः हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली का संदेश ।

महोदय,

दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ स्थानीय निकायों के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने, इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने और अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में कार्य करने के प्रति रूचि पैदा करने के उद्देश्य से कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली सरकार के समस्त विभागों को समय-समय पर आवश्यक निदेश भी जारी किये जाते हैं। चूंकि दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 में हिन्दी को दिल्ली की प्रथम राजभाषा घोषित किया गया है। अतः आवश्यक हो गया है कि जनसाधारण से सीधे सरोकार रखने वाले समस्त सरकारी कार्य राजभाषा हिन्दी में ही किये जाने चाहिएं।

आपसे अनुरोध है कि 14 सितम्बर, 2019 को "हिन्दी दिवस" के अवसर पर माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली का संदेश अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाने के लिये परिचालित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय जैन) 8/8/19
उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

Loh
15-9-26

फा.सं0 5(01) 2019-20-क0सं0एवं भाषा/ 1607-1708 दिनांकः 8/8/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचित के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिन्दी कार्यान्वयन समिति जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय,तीस हजारी, दिल्ली।
6. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।
7. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली।
8. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग सदन, पटपटगंज, औद्योगिकी क्षेत्र, दिल्ली-92.
9. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली।
10. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
11. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड़, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली ।
12. प्रबंधक (मा.सं.), प्रशिक्षण एवं हिन्दी अनुभाग, इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ओ एंड एम भवन राजघाट पावर हाउस, नई दिल्ली-02.
13. निदेशक (कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरूणालय फेस-2, झण्डेवालान, नई दिल्ली ।
14. प्रशासनिक अधिकारी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यू.टी.सी.एस. बिल्डिंग, विश्वास नगर, दिल्ली ।
15. दिल्ली सरकार के समस्त स्वायत्त निकाय/निगम, दिल्ली/नई दिल्ली।
16. दिल्ली सरकार के अंतर्गत समस्त समितियाँ/बोर्ड/परिषद/संगठन, दिल्ली/नई दिल्ली।
17. कला, संस्कृति एवं भाषा की वेबसाइट पर उपलोड करने के संदर्भ में।

(संजय जैन) 8/8/19
उप-सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

नोडल अधिकारी हिन्दी अनुभाग

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम)
District & Sessions Judge (North-West)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली
Rohini Courts, Delhi
16/9/19